

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

क्रमांक :- एफ.2(7099)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/02409/2019

जयपुर, दिनांक 27.06.2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है :-

क्र.स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	810	श्री प्रशान्त कुमार	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), दौसा	1. RPSC, Ajmer - RAS (Mains) Exam - 2018
2.	1166	श्री पूनम सिंह	कार्यालय, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जैसलमेर	1. RSMSSB, Jaipur - Stenographer Exam - 2018
3.	2880	श्री पंकज कुमार	उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर-वृत्त	1. RRB Junior Eng. Exam 2018 2. RRB NTPC Exam 2019
4.	2884	श्री प्रमीत चौहान	डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	1. RSMSSB, Jaipur - Librarian Grade-3 Exam - 2018
5.	3539	श्री प्रमोद कुमार	कार्यालय एसीपी (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, हिण्डोली, बून्दी	1. RPSC, Ajmer - Sr. Teacher Grade II Exam - 2018 2. RPSC, Ajmer - School Lecturer Exam - 2018

उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(बी.एस.नाथावत)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव
जयपुर, दिनांक

क्रमांक : एफ.2(7099)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।

क्रमांक :-एफ.2(7070)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/पार्ट 2/02376/2019

जयपुर, दिनांक 26.06.2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

क्र. स.	मेरिट न.	सूचना सहायक का नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	1536	रविन्द्र कुमार शर्मा	कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी किशनगंज जि. बारा	RRB NTPC (Non Technical Popular Category 2019
2.	2016	राकेश कुमार पुत्र श्री महेश कुमार	कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुंझुनू	UGC NET 2019
3.	2114	राकेश कुमार प्रजापत	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग पंचायत समिति शाहपुरा जि. जयपुर	RPSC ACF & Forest Range Officer Gr-1 st 2018
4.	2456	राजेश कुमावत	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग पंचायत समिति खारंची (मारवाड जंक्शन) पाली	RPSC Assistant Statical Officer 2018
5.	3212	राकेश कुमार पुत्र श्री रामेश्वरलाल	कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुंझुनू	UGC NET 2019
6.	3584	रोहिताश बैरवा	कार्यालय राजस्व तहसील अलवर	JUNIOR ENGINEER (IT) VICE PRINCIPLE ITI CIVIL SERVICES EXAM 2018
7.	3952	राजकुमार खरेटिया	कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचन विभाग, चौरासी जिला डूंगरपुर	RRB NTPC (Non Technical Popular Category) 2019
8.	4052	रिंकू खींची	कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचन विभाग, सरदारपुरा, जोधपुर	UGC NET 2019
9.	4353	राजेन्द्र मीणा	कार्यालय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर, राजस्थान	UGC NET 2019 Steno, Librarian 2019
10.	W-39	रविन्द्र सिंह राठौड़	कार्यालय जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, झुंझुनू	RPSC Vice Principle ITI exam 2018

उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
2. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
3. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. प्रशासनिक कारणों वश प्रतियोगी की परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. परीक्षा की स्वीकृति दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

— Sd —

(बी. एस. नाथावत)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक:- एफ.2(5455) / डी.ओ.आई.टी. / संस्था / 14/02370/2019

जयपुर, दिनांक 26.06.2019

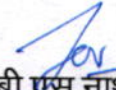
अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्रीमती अनुराधा गन्धेर, सूचना सहायक ने निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है:-

क्र.सं.	प्रतियोगी परीक्षा का नाम	आयोजित करने वाली संस्था का नाम
1	UDC COMP. EXAM-2018	AIIMS

श्रीमती अनुराधा गन्धेर, सूचना सहायक को उपर्युक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीय प्रदान की जाती है:-

1. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
2. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
6. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
7. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
8. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(बी.एस.नाथावत)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
- ✓ 2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. श्रीमती अनुराधा गन्धेर, सूचना सहायक, कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।


तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक:- एफ.2(4115) / डी.ओ.आई.टी. / संस्था / 14/02312/2019

जयपुर, दिनांक 24.06.2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री अशोक कुमार खोईवाल, सूचना सहायक ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। श्री अशोक कुमार खोईवाल, सूचना सहायक को UGC NET COMP. EXAM-2019 की प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

1. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
2. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
8. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(बी.एस.नाथावत)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. श्री अशोक कुमार खोईवाल, सूचना सहायक, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:- एफ.2(5434)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/ 14/02314/2019

जयपुर, दिनांक 24.06.2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री सोनू बैरवा, सूचना सहायक, कार्यालय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है:-

1.RSSB द्वारा स्टेनोग्राफर सीधी भर्ती परीक्षा-2018

2.RRB (Railway) द्वारा आयोजित NTPC परीक्षा-2019

श्री सोनू बैरवा, सूचना सहायक को उपरोक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(बी. एस. नाथावत)

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप सचिव, कार्यालय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. श्री सोनू बैरवा, सूचना सहायक, कार्यालय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:- एफ.2(2308)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/ 14/02315/2019

जयपुर, दिनांक 24.06.2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्रीमती स्वाती शर्मा, सूचना सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जोधपुर ने लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित आर.ए.एस.(मेन्स) की प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है।

श्रीमती स्वाती शर्मा, सूचना सहायक को उपरोक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(बी. एस. नाथावत)

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन- जोधपुर।
- ✓ 2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. श्रीमती स्वाति शर्मा, सूचना सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन- जोधपुर।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :-एफ.2(7475)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/18/02311/2019

जयपुर, दिनांक 24.06.2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.स.	नाम एवं पद	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	श्री सुरेश कुमार, सहायक प्रोग्रामर	कार्यालय महानिदेशक पुलिस एटीएस एंड एसओजी, राजस्थान जयपुर	1. RPSC, Ajmer - राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा-2018
2.	श्री लक्ष्मण सिंह चौहान, सहायक प्रोग्रामर	सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर	1. RPSC, Ajmer - राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा-2018

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

— sd —

(बी. एस. नाथावत)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।


प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)